

एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)

बकायेदार आवंटियों को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान करके सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का अवसर दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ा दिया गया है

शासनादेश सं० 298/2016/2911/आठ-1-16-01 विविध/2000 दिनांक 16.09.2016 द्वारा O.T.S. की समय सीमा दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ा दी गयी है। अतः उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित समस्त प्रकार की सम्पत्तियों (आवंटन पद्धति से एवं नीलामी पद्धति से आवंटित), किराया क्रय पद्धति/नकद पर आवंटित आवासीय सम्पत्ति, ग्रुप हाउसिंग की सम्पत्तियों, समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबुल संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित सम्पत्ति तथा समस्त प्रकार की व्यवसायिक, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु वन टाइम सेटलमेन्ट योजना लागू की गयी है।

अतएव परिषद के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि ओ.टी.एस. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन जमा करके प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।

नोट:- आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को पता लिखे 2 लिफाफे संलग्न करना होगा। आवेदक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में उपलब्ध प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

आवास आयुक्त

IS 15790-2005



संवेदन प्रणालि

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट: <http://www.upavp.com> ई-मेल: info@upavp.com



IS 15790-2005

शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सुविधा केन्द्र के नंबरों पर सम्पर्क करें

1800-180-5333 0522-2236803

(दैनिक 24 घंटे)

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।